



पट्टा विलेख (लीजडीड) ।।

स्टाम्प अंकन 3200रू0

मियाद - 30 वर्ष

हम कि जगत सिंह पुत्र श्री पूरनमल निवासी ग्राम दौसा बंजारपुर हाल निवासी सी 19  
सैक्टर 3 सुशान्त सिटी मेरठ जिला मेरठ फरीक अव्वल मालिक

पैन बीएडब्ल्यूपीएस4689जी

एवं वैदिक संस्कृति स्कूल, ग्राम दौसा बंजारपुर (दौसा काजमपुर रोड) तहसील  
मोदीनगर जिला गाजियाबाद द्वारा प्रबन्धक शिवम कुमार पुत्र श्री जगत सिंह निवासी  
सी 19 सैक्टर 3 सुशान्त सिटी मेरठ जिला मेरठ किरायेदार फरीक दोयम

पैन एफडीएक्सपीके2972एन

Jagat Singh

Jagat Singh



आवेदन सं०: 202200738018733

## पट्टा अनुबंध विलेख

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 15377

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 79200 स्टाम्प शुल्क- 3200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 800 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 840

श्री जगत सिंह,  
पुत्र श्री पूरनमल  
व्यवसाय : अन्य

*Jagat Singh*

निवासी: ग्राम दौसा बंजारपुर हाल निवासी सी 19 सैक्टर-3 सुशान्त सिटी मेरठ



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/09/2022 एवं 02:55:22 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
राजीव कुमार भारती  
उप निबंधक :मोदीनगर  
गाजियाबाद  
09/09/2022

*[Signature]*  
निखिल कुमार .  
निबंधक लिपिक  
09/09/2022

प्रिंट करें



2

विदित हो कि स्थित ग्राम दौसा बंजारपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में खसरा नम्बर 28 रकबा 6790 वर्गमीटर यानि 8120.84 वर्गगज जिसकी चारदीवारी बनी हैं व दो गेट लगे हैं व गेट के पास गार्ड रूम हैं व जिसमें जानिब पश्चिम की ओर तीन मंजिला बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत हैं जिसमें भूतल व प्रथम तल पूर्णतया निर्मित हैं व द्वितीय तल पर निर्माण कार्य जारी हैं जिसका टोटल स्वीकृत कवर्ड एरिया सभी फ्लोर पर 2507.57 वर्गमीटर हैं जिसका नक्शा जिला पंचायत पत्राक 466 दि० 21.12.2019 को स्वीकृत हैं एवं उक्त आराजी मये बिल्डिंग शिक्षण कार्य हेतू निर्मित हैं ग्राम दौसा बंजारपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं चकबन्दी बन्दोबस्त के अनुसार न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी गाजियबाद द्वारा धारा 5ग जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि का भू उपयोग परिवर्तित हैं । संस्था को निर्माण कार्य पूर्ण करने का अधिकार होगा । जो आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक साफ हैं कहीं दूसरी जगह आड रहन बय हिवै महायदाबय बैंक लौन जमानत आदि आदि में ग्रस्त नहीं हैं। अब मैं फरीक अब्वल अपनी उक्त सालिम आराजी मये बिल्डिंग उक्त को फरीक दायम उक्त को तीस वर्ष के लिए किराये पर दे रहा हूँ ।

दोनों पक्षों के बताये अनुसार यह लेखपत्र तैयार किया गया हैं ।

निम्नलिखित शर्तों के हम दोनों पक्ष व वारसान पक्ष पाबन्द रहेगें ।

Jagat Singh



QCC



आवेदन सं०: 202200738018733

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 15377

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1


श्री जगत सिंह, पुत्र श्री पूरनमल

निवासी: ग्राम दौसा बंजारपुर हाल निवासी सी 19 सैक्टर-3 सुशान्त सिटी मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: 1

Jagat Singh



श्री वैदिक संस्कृती स्कूल के द्वारा शिवम कुमार, पुत्र श्री जगत सिंह

निवासी: सी 19 सैक्टर-3 सुशान्त सिटी मेरठ

व्यवसाय: अन्य

Shivam Kumar



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री अनुज कुमार, पुत्र श्री सुनील कुमार

निवासी: ग्राम सीकरी खुर्द मोदीनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

Anuj



श्री धर्मवीर, पुत्र श्री भूले

निवासी: ग्राम दौसा बंजारपुर मोदीनगर

व्यवसाय: अन्य


Dharmvir



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

राजीव कुमार भारती  
उप निबंधक: मोदीनगरगाजियाबाद  
09/09/2022निखिल कुमार  
निबंधक लिपिक गाजियाबाद  
09/09/2022

प्रिंट करें

3

- 1- यह कि पट्टा विलेख की मियाद तीस वर्ष यानि दिनांक 01.09.2022 से शुरू होकर मियाद तयशुदा 30 साल यानि दिनांक 30.08.2052 तक की तय पायी हैं ।
- 2- यह कि उक्त सम्पत्ति का तयशुदा किराया दोनों पक्षों के मध्य अंकन 1100रू0 प्रति माह यानि 13200रू0 प्रति वर्ष तय पाया हैं जिसे फरीक दायम फरीक अब्बल को प्रति वर्ष एडवांस अदा करेंगे ।
- 3- यह कि फरीक दायम को अधिकार होगा कि वह उक्त आराजी में अन्य कोई निर्माण कराये जो निर्मित क्षेत्रफल हैं उसमें कोई तब्दीली करें व जो निर्माण हो चुका हैं उसके अलावा अन्य निर्माण करें । उक्त आराजी में केवल वैदिक संस्कृति स्कूल ही चलाया जायेगा व किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करें ।
- 4- यह कि उक्त आराजी सम्बन्धी हर कानूनी नुक्श को दूर करने की जिम्मेदारी फरीक अब्बल की होगी तथा शिक्षण कार्य से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी फरीक दायम की होगी ।
- 5- यह कि फरीक अब्बल पट्टा मियाद तक किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या वादविवाद फरीक दायम के कब्जे में नही करूंगा एवं ना ही मेरे वारिसान को होगा ।
- 6- यह कि किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर फरीक दायम उक्त आराजी को फरीक अब्बल के सुपुर्द कर देंगे ।
- 7- यह कि उक्त सम्पत्ति के मालिकाना हक फरीक अब्बल के पास सुरक्षित हैं ।
- 8- यह कि उक्त विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 धारा 35 खण्ड के उपधारा 5 के अनुसार सालाना किराया अंकन 13200रू0 का 6 गुना अंकन 79200रू0 पर स्टाम्प अदा किया हैं ।

Jagat Sinan



Qle



4

अतः यह किरायानामा हम दोनों पक्षों ने आपसी सहमति व रजामन्दी से लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें ।

Jagat Singh



RLC



Amu

गवाह अनुज कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार निवासी  
ग्राम सीकरी खुर्द तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद

Amu

गवाह धर्मवीर पुत्र श्री भूले निवासी  
ग्राम दौसा बंजारपुर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद

धर्मवीर

धर्मवीर




तारीख 9.9.2022 मसौदा चौ०रणवीर सिंह दहियां वसीकानवीस मोदीनगर



आवेदन सं०: 202200738018733

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14030 के पृष्ठ 17 से 26 तक क्रमांक 15377 पर  
दिनांक 09/09/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
राजीव कुमार भारती  
उप निबंधक : मोदीनगर  
गाजियाबाद  
09/09/2022

प्रिंट करें



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।

पत्रांक

02 केम्प/सहा0अभि0 177


दिनांक- 28/11/2020

सेवा में,

मैनेजर,  
वैदिक संस्कृति स्कूल,  
दौसा बंजारपुर, मोदीनगर,  
गाजियाबाद।

आपके पत्र सं0 शून्य दिनांक 27.11.2020 के क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा वैदिक संस्कृति स्कूल दौसा बंजारपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद का दिनांक 28.11.2020 को निरीक्षण किया गया। स्कूल भवन का निर्माण आर्कीटेक्ट की देख-रेख में 03 मंजिल तक किया गया है। अतः स्कूल भवन का निर्माण प्रथमदृष्टया वाह्य रूप तथा आर्कीटेक्ट के अनुसार एन0बी0सी0 कोड-2005 की दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत है।

उक्त प्रमाण पत्र इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किया जाता है कि स्कूल की इमारत में कोई भी परिवर्तन बिना किसी सक्षम स्तर की अनुमति के ना किया जाये एवं स्कूल के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था के स्वामी की होगी।

  
सहायक अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0,  
गाजियाबाद।  
नि0 खण्ड-2, लो0नि0वि0  
गाजियाबाद